न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

आसीन अधिकारी :— मोहम्मद ताहिर (RAS)

वाद संख्या :— 60 / दावा / 2019

विजय यादव आयु 40 वर्ष दत्तक पुत्र श्री डालचन्द यादव जाति जाटव निवासी ग्राम मकान नम्बर 3—पी—9 तलवण्डी कोटा जिला कोटा, राजस्थान

— वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये श्रीमान तहसीलदार महोदय तालेड़ा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान।

— प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 91, 188, 209 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :—

1. प्रार्थी की ओर से अवधेश शर्मा अधिवक्ता
2. राज्य की ओर से पैरोकार सरकार।

—: निर्णय :—

दिनांक — 21.06.2019

1. वादी की ओर से यह वाद पत्र अधिकार घोषणा का दिनांक 03.06.2019 को प्रतिवादी के विरूद्ध पेश किया गया।
2. वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 1938 रकबा 28 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम देहित तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान में स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि में वादी के गोद पिता डालचन्द आ0 मूलचन्द का 9/32 हिस्सा निहित है। कृषि भूमि खसरा संख्या 187 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 191 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम पराणा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी मे स्थिति है। उपरोक्त कृषि भूमि वादी के गोद पिता डालचन्द आ0 मूलचन्द की खातेदारी में दर्ज है। कृषि भूमि खसरा संख्या 189 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम पराणा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी में स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि वादी के गोद पिता डालचन्द आ0

उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा

मूलचन्द की खातेदारी में दर्ज है। कृषि भूमि संख्या 143 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम पराणा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी मे स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि वादी के गोद पिता डालचन्द आ0 मूलचन्द की 2/3 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है। उपरोक्त कृषि भूमियां वादी के गोद पिता डालचन्द आ0 मूलचन्द की स्वअर्जित सम्पत्तियां है। वादी के गोद पिता डालचन्द ने दिनांक 31–10–2018 को वादी की सेवा बन्दगी से प्रसन्न होकर अपनी चल अचल सम्पत्ति की वसीयत वादी के पक्ष में रजिस्टर्ड करवा दी थी। वसीयतनामा दिनांक 31–10–2018 जो कि वादी के पक्ष में निष्पादित किया गया है। वादी के गोद पिता डालचन्द का प्रथम एवं अन्तिम वसियत पत्र है। वादी के गोद पिता डालचन्द यादव की दिनांक 11–01–2019 को मृत्यु हो चुकी है ततपश्चात वादी वसीयतनामा दिनांक 31–10–2018 के आधार पर वाद वर्णित भूमि का इन्तकाल वादी के पक्ष में खोले जाने हेतु तहसीलदार तालेड़ा को दिनांक 01–03–2019 को आवेदन किया परन्तु तहसीलदार तालेड़ा ने उक्त आवेदन को लेने से इन्कार कर दिया। वसीयतनामा दिनांक 31–10–2018 के आधार पर वादी वाद वर्णित भूमि पर काबिज काश्त है तथा लगान वगैरह लेण्ड होल्डर को अदा कर रहा है। वादी वसियत नामा दिनांक 31–10–2018 के आधार पर उपरोक्त कृषि भूमि का एक मात्र तन्हा स्वामी है तथा माननीय न्यायालय से उपरोक्त कृषि भूमि को वसियतनामा दिनांक 31–10–2018 के आधार पर स्वयं के नाम खातेदारी मे दर्ज करवाने का अधिकारी है। वाद प्रस्तुती का वाद कारण दिनांक 01–03–2019 को उत्पन्न हुआ जब तहसीलदार तालेड़ा ने वसीयतनामा दिनांक 31–10–2018 के आधार पर वादी के पक्ष में नामान्तकरण खोलने का आवेदन लेने से इन्कार कर दिया तथा वाद वर्णित भूमि पर वादीं का हक अधिकार होने से इन्कार कर दिया तब से वाद प्रस्तुती का वाद कारण निरन्तर जारी है। अन्त में प्रार्थना की गई कि वाद वर्णित तथ्यों के आधार पर वादी का वाद पत्र डिक्री किया जावे।

2. वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने वाद पत्र का जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस करने का निवेदन किया।

3. वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे स्वयं को पीडब्ल्यू 1 के रूप मे न्यायालय के समक्ष स्वयं को परिक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी सम्वत्

उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा

2070–73 प्रदर्श 1, जमाबंदी सम्वत् 2070–73 प्रदर्श 2, जमाबंदी सम्वत् 2072–75 प्रदर्श 3, वसीयतनामा प्रदर्श 4 व मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 5ए पेश किये।

4. बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी वकील ने वाद वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये वादी का वाद पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हमने उभयपक्षों की बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दू यह है कि वाद वर्णित कृषि भूमि जिसकी वादी के पक्ष में वादी के गोद पिता के द्वारा वसीयत की गई है वह कृषि भूमि वादी के पिता की स्वअर्जित सम्पत्ति है या पैतृक सम्पत्ति है। यदि वाद वर्णित कृषि भूमि वादी के गोद पिता की स्वअर्जित सम्पत्ति है तो वादी वसीयत नामा दिनांक 31.10.2018 के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी वकील ने दौराने बहस दस्तावेजी साक्ष्य की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया कि वाद वर्णित कृषि भूमि वादी के पिता डालचन्द की जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की गई कृषि भूमि है। जिसका उसको रहन, बैचान, वसीयत व दान करने का पूर्ण अधिकार है। दस्तावेजों के अवलोकन से प्रमाणित होता है कि वाद वर्णित कृषि भूमि वादी के गोद पिता की स्वअर्जित सम्पत्ति है जिसका उसको वसीयत करने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दू यह है कि वसीयत नामा दिनांक 31.10.2018 फर्जी, कूटरचित एवं संदिग्ध तो नहीं है? इस पर वसीयतनामा दिनांक 31.10.2018 का अवलोकन किया गया। वसीयतनामा रजिस्टर्ड है ऐसी स्थिति में रजिस्टर्ड वसीयतनामा पर संदिग्ध होने का कोई तथ्य मौजूद नही है। ऐसी स्थिति में वसीयत नामा फर्जी एवं कूटरचित एवं संदिग्ध नहीं है। तीसरा महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दू यह है कि वसीयतनामा के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जा सकता है या नही तथा वसीयत नामा कब प्रभाव में आता है इस सम्बन्ध में वादी अधिवक्ता के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 41 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अधिनियम की उपरोक्त धारा में खातेदारी अधिकारों के अन्तरण के माध्यम की व्यवस्था की गई है जिसके तहत खातेदारी अधिकारों का अन्तरण जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से व दानपत्र के माध्यम से एवं वसीयत के माध्यम से किया जा सकता है तथा वसीयतनामा वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात प्रभाव में आता है। वसीयतकर्ता की

दिनांक 11.01.2019 को मृत्यु हो चुकी है जो प्रदर्श 4 से प्रमाणित है। वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात से वसीयतनामा प्रभाव में है। उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 41 के तहत वादी वसीयत के माध्यम से वाद वर्णित कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है एवं वाद पत्र की चरण सं. 4 में वर्णित कृषि भूमि खसरा सं. 143 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा वर्तमान जमाबन्दी में सिवायचक दर्ज होने से वादी को कृषि भूमि खसरा सं. 143 पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है।

—: निर्णय :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 1938 रकबा 28 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम देहित तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान के 9/32 हिस्से, कृषि भूमि खसरा संख्या 187 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 191 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम पराणा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी पर एवं कृषि भूमि खसरा संख्या 189 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम पराणा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी पर वादी का नाम खातेदार के रूप में राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

उक्त निर्णय आज दिनांक 21.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा

21/6/19

(मोहम्मद ताहिर)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी (राज.)

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Prodeedure Code Appendix 'd'-1)

अज अदालत — इजलास – मोहम्मद ताहिर

उपखण्ड अधिकारी मुकाम तालेड़ा — आर.ए.एस.

विजय यादव **V/S** राज0 राज्य

वाद– 88,89,92ए,91,188,209 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :: 60/2019

वादीगण की और से श्री अवधेश शर्मा, अधिवक्ता व पैरोकार सरकार की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 21.06.2019 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि–

" वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 1938 रकबा 28 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम देहित तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान के 9/32 हिस्से, कृषि भूमि खसरा संख्या 187 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 191 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम पराणा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी पर एवं कृषि भूमि खसरा संख्या 189 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम पराणा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी पर वादी का नाम खातेदार के रूप में राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करे।"

नीज .....ग..... मुबलिक .....ग..... बाबत .....ग..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .....ग..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलवादी तक ..... ग..... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 21.06.2019 को जारी की गई।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा

(मोहम्मद ताहिर)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा